संक्षिप्त समाचार

कलेक्टर ने अस्पताल संचालकों से की चर्चा

बालोद(चिन्तक)। कलेक्टर जनमेजय महोबे ने जिले में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव व रोकथाम हेतु कल शाम संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और निजी अस्पताल संचालकों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु कोविड-19 अनुरूप व्यवहार का पालन करना जरूरी है। लोगो को मास्क का उपयोग व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन के लिए जागरूक करने के साथ प्रचार-प्रसार भी किया जाना चाहिए।

आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें - कलेक्टर

बालोद (चिन्तक)। कलेक्टर जनमेजय महोबे ने कहा कि जिले में कोविड-19 संक्रमण के नियंत्रण व बचाव हेतु सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें। महोबे आज संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में निर्देशित कर रहे थे। पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार इस अवसर पर मौजूद थे।

कलेक्टर ने जिला मुख्यालय स्थित सौ बिस्तर जिला कोविड अस्पताल में आईसीयू बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, दवाईयॉ सहित अन्य आवश्यक संसाधन तैयार रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोविड केयर सेंटरों को भी आवश्यक संसाधनों के साथ तैयार रखें। ग्रामीण क्षेत्रों में मितानिनों के पास दवाईयॉ उपलब्ध कराएँ। कलेक्टर ने ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, मास्क, सेनि टाइजर आदि की उपलब्धता के संबंध में चर्चा की। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने जिले की आम जनता से कोविड-19 के गाइडलाईन का पालन करने की अपील की।

महापौर के 2 वर्ष का कार्यकाल सुपर फ्लॉप

राजनीति

- काबिल अफसरों ने छोड़ी नौकरी, गड्डे बनी पहचान विकास के लिए एक ढेला तक नहीं ला पाये
- शहर की जनता को दो बार सप्ताह भर पानी के लिए तरसे-अजय वर्मा

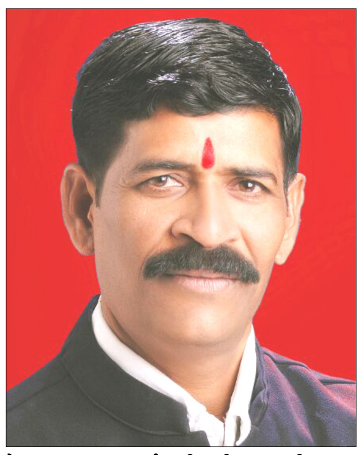

दुर्ग (चिन्तक)। कांग्रेस शासित नगर निगम दुर्ग में महापौर धीरज बाकलीवाल के नेतृत्व में 2 वर्ष के कार्यकाल पूरे होने पर भाजपा पार्षद दल ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे अब तक की सबसे सुपर फ्लाप मेयर बताते हुए कहा कि बीते 2 वर्ष में शहर को नई परियोजना तो दूर विकास कार्यो के माध्यम पूरे देश व प्रदेश में पहचान देने मे योगदान देने वाले 5 से अधिक काबिल अफ्सरों को कांग्रेस परिषद के प्रताड़ना से तंग आकर नौकरी छोडनी पड़ी, और दुर्ग के विकास के लिए कोई नई योजना नहीं बनी बल्कि विकास कार्यों के लिए एक ढेला तक नहीं ला पाने के कारण अब शहर की पहचान गड्ढों का शहर के रूप में होने लगी है ,यही बड़ी उपलब्धि है ।

इस संबंध में भाजपा पार्षद दल नेता अजय वर्मा श्रीमती गायत्री साहू देवनारायण चंद्राकर चंद्रशेखर चंद्राकर काशीराम कोसरे नरेंद्र बंजारे नरेश तेजवानी ओमप्रकाश सेन, मनीष साहू अजीत वैद्य चमेली साहू लीना दिनेश देवांगन शशि द्वारिका साहू हेमा शर्मा पुष्पा गुलाब वर्मा कुमारी साहू ने संयुक्त रूप से कहा है कि जब से निगम में कांग्रेस की सरकार बनी है तब से शहर के विकास थम गए हैं शहर के प्रमुख मार्गो से लेकर गली मोहल्लों में चारों तरफगड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं ।

कोरोना की आड़ मे महापौर बाकलीवाल दो साल में केवल दो बार ही सामान्य सभा कि बैठक करा पाया वो भी केवल बजट बैठक का यह इस बात को प्रमाण है कि वे शहर कि जनता के मूलभूत समस्याओं पर चर्चा के लिए भागते रहे है। भाजपा पार्षदों ने आगे कहा कि दुर्ग शहर में कोरोना कि दूसरी लहर ने जो प्रचंड रूप दिखाकर सैकड़ों लोगों कि जान ली उनका कारण भी निगम महापौर के लापरवाही है, क्योंकि जब पूरे प्रदेश कोरोना वायरस फैल रहा था तो महापौर व परिषद ने एक ओर बड़ी भीड़ वाला कार्यक्रम जिसमे राजेंद्र पार्क में फ्लावर शो,शिवनाथ नदी में बड़ा मेला,जगह जगह शहर में क्रिकेट मैच आयोजित कराकर भीड़ जुटाई जिसके कुछ दिनों बाद शहर कई वार्डो में कोरोना कि तबाही आई और कईयों कि प्राण ले ली लेकिन पूरा सत्तासीन परिषद विधायक अरुण वोरा के परिक्रमा करने में लगा रहा।

नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा ने आगे कहा कि महापौर धीरज बाकलीवाल के पूरे दो साल में निगम बड़े काबिल अधिकारी टी के देव, जे के केसरवानी, राजू पोद्दार, ए आर रहंगड़ाले सहित 5 अधिकारियों ने प्रताड़ना से तंग आकर नौकरी छोड़ दी ।

नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा ने महापौर को निष्क्रिय बताते हुए कहा कि दो साल मे वे केवल एक बार पूरे वार्डो का भ्रमण किया है वो भी सायकल यात्रा पर किंतु समस्या अभी भी जस के तस बनी हुई है, गली मोहल्ले में सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। परिसीमन के बाद जो वार्ड की संख्या व क्षेत्र बढ़े हैं, वहा कोई प्लानिंग ही नहीं की है नतीजन कम कर्मचारी की वजह से वहां सफाई व्यवस्था खराब हो गई है। भाजपा पार्षदों ने महापौर के दो वर्ष के कार्यकाल को पार्किंग घोटाला,निविदा घोटाला,कुत्ता बधिया करण में घोटाला यही बड़ी उपलब्धि है। जबकि पूरे निगम मे भ्रष्टाचार चरम पर है, जिसके चलते 4 करोड़ कि निविदा का टेंडर प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो पाया है, और पूरा परिषद अब दोषियों को बचाने में लगी है।

मुख्यमंत्री की मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी का प्रसारण 9 को

रायपुर(चिन्तक)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 25वीं कड़ी का प्रसारण 09 जनवरी 2022 को होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोकवाणी में इस बार ''युवा सपने और छत्तीसगढ़'' विषय पर प्रदेशवासियों से बातचीत करेंगे। लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों, एफ्एम रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह 10.30 बजे से 11.00 बजे तक होगा।

स्वच्छता सर्वेक्षण 2022

बेहतर प्लान देकर जीत सकते हैं 5 लाख

रिसाली (चिन्तक)। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के लिए केन्द्र सरकार चार अलग-अलग थीम पर प्रतियोगिता आयेजित कर रही है। इस बार प्रतियोगिता में बेहतर प्लान तैयार कर जमा करना होगा। प्लान स्वीकृत होने पर 75 हजार से 5 लाख रूपये केन्द्र सरकार पुरस्कार के रूप में देगी। अलग-अलग थीम पर स्लाइट तैयार कर प्रदर्शन के लिए 12 जनवरी तक जमा करना अनिवार्य है।

रिसाली नगर पालिक निगम के आयुक्त आशीष देवांगन ने बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत केन्द्र सरकार हर साल अलग-अलग थीम पर प्रतियोगिता का आयोजन कर विजेताओं को पुरस्कृत करती है। इस बार आम नागरिकों से केन्द्र सरकार, कचरा प्रबंधन, कलेक्शन और उसके निष्पादन के लिए सुझाव के साथ विस्तृत प्लान मांग रही है। बेहतर चयनित प्लान को पूरे देश में लागू किया जाएगा। साथ ही प्लान तैयार करने वालों को अलग-अलग श्रेणी में 75 हजार से 5 लाख तक का पुरस्कार स्वरूप राशि देगी। आयुक्त ने बताया कि इस प्रतियोगिता में हर वर्ग का व्यक्ति हिस्सा ले सकता है।रिसाली नगर पालिक निगम में पदस्थ समन्वयक टी कश्यप व आकाश मिश्रा ने बताया कि सोशल इन्कूलजन के तहत हर घर से निकलने वाले कचरा का प्रबंधन, कचरा कलेक्शन पर प्रोजेक्ट तैयार करना है। जीरो डंप थीम के अंतर्गत कचरा कलेक्शन पर लगे वाहन के साथ-साथ संसाधनों पर स्लाइड तैयार कर प्रस्तुत किया जा सकता है। इसी तरह प्लास्टीक वेस्ट मेनेजमेंट व ट्रास्परेंसी पर भी प्लान मांगा गया है। जिसके तहत सीवरेज लाइन और सैप्टिक टैंक से निकलने वाली गंदगी को किस तरह सुरक्षित तरीके से नष्ट किया जाए इस विषय पर प्रोजेक्ट जमा कर प्रतियोगिता में शामिल हो सकते है। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने और विस्तृत जानकारी के लिए समाज सेवी संगठन के सदस्य, विद्यार्थी, युवा वर्ग व सामान्य नागरिक रिसाली नगर पालिक निगम के रिसाली बस्ती स्थित गायत्री मंदिर के निकट संचालित जनस्वास्थ्य विभाग कार्यालय में संपर्क कर सकते है।

महापौर का दो वर्ष का कार्यकाल रहा उपलब्धि भरा: भाटिया

दुर्ग(चिन्तक)। युंका नेता राजू भाटिया ने निगम महापौर धीरज बाकलीवाल के दो वर्ष के कार्यकाल को उपलब्धिपूर्ण बताते हुए उन्हें हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि वेयर हाउस कार्पोरेशन के चेयरमेन व विधायक अरुण वोरा के नेतृत्व में महापौर श्री बाकलीवाल बेहतर काम कर रहे है।

श्री भाटिया ने कहा है कि कोरोना काल में महापौर ने गरीब लोगों को हर संभव व सहायता पहुंचाई है। इसके साथ-साथ जन सामान्य को बुनियादी सुविधा मुहैय्या कराने में महापौर सक्रिय रहे है।

श्री भाटिया ने कहा है कि महापौर धीरज बाकलीवाल इतने सहज व सरल है कि उनसे कोई भी किसी भी समय मुलाकात कर सकता है। उनके पास जो भी नागरिक समस्या लेकर जाता है वे उसका तत्काल निराकरण करने का प्रयास करते है।

महापौर श्री बाकलीवाल ने अपनी नई सोच से शहर के विकास को लेकर जो नई परिकल्पना तैयार की है। उसका सकारात्मक परिणाम आने वाले समय में सामने आएगा। श्री भाटिया ने कहा कि विधायक श्री वोरा व महापौर बाकलीवाल के प्रयासों से दुर्ग शहर विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है।

शिक्षक पात्रता परीक्षा 9 को

रायपुर(चिन्तक)। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर के द्वारा छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता) परीक्षा 2021 आगामी 9 जनवरी को आयोजित की जाएगी। इसके तहत प्रथम पाली प्रात: 9.30 बजे से.12:15 बजे तक 40 परीक्षा केन्द्रों में एवं द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर 2.00 बजे से 4.45 बजे तक 34 केन्द्रों में संचालित की जाएगी।

परीक्षा के सुचारू रूप से संचालन हेतु निधि साहू ,संयुक्त कलेक्टर को नोडल अधिकारी एवं के.एस.पटले, जिला परियोजना समन्वयक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

कृषि छात्रों ने किया शैक्षणिक भ्रमण

दुर्ग (चिन्तक)। छत्तीसगढ़ कृषि महाविद्यालय, धनोरा, रिसाली के छात्र छात्राओ ने कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय काठा डीह जामगांव रायपुर का शैक्षणिक भ्रमण कृषि पत्रकारिता और कौशल व्यवहार विषय के अंतर्गत किया।

वहाँ पर छात्र-छात्राओं ने दूरदर्शन मे समाचार प्रसारण के बारे मे जानकारी प्राप्त की इसके साथ रेडियो संवाद 90.8 एफएमके प्रसारण और उसमें प्रसारित होने वाले विभिन्न कृषि कार्यक्रमो की जानकारी प्राप्त की। इस भ्रमण मे विश्वविद्यालय के डा. नरेन्द्र त्रिपाठी, विभागाध्यक्ष इले क्ट्रॉनिक मीडिया विभाग, शैलेन्द्र खंडेलवाल चंद्रेश चौधरी , अमित चौहान, सुश्री वर्षा वर्मा के प्रति विवेक पांडेय ने वांछित सहयोग प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त किया ।

नई टाटा स्काई लिफ्ट मशीन पहुंची निगम दुर्ग

सराहना

- टयूबलर पोल एवं हाईमास्क लाइटों के बंद होने की शिकायत का जल्द होगा निराकरण-वोरा
- 13 मीटर अधिक ऊंचाई तक खंबो में विद्युत संधारण कार्य करने की क्षमता रखती है हाइड्रोलिक मशीन-महापौर

दुर्ग (चिन्तक)। नगर पालिक निगम परिसर में विधायक अरुण वोरा एवं महापौर धीरज बाकलीवाल ने विद्युत विभाग प्रभारी भोला महोविया के साथ डाटा स्काई लिफ्ट हाइड्रोलिक मशीन का पूजा पाठ कर शुभारंभ किया गया।मौके पर लोक कर्म प्रभारी अब्दुल गनी,जलकार्य प्रभारी संजय कोहले,एल्डरमेन राजेश शर्मा,अजय गुप्ता, सहायक अभियंता आरके जैन,भवन अधिकारी प्रकाशचंद थावनी, वीरेंद्र ठाकुर,गैरेज प्रभारी शौयब अहमद,सूरज सारथी,गुड्डू यादव समेत अन्य मौजूद थे। ट्यूबलर पोल व हाई मास्क लाइटों का जो लंबे समय से बंद है अब जल्द सुधरेगा, निदान 1100 में मिली बन्द लाइटों की शिकायत जनप्रतिनिधियों और आम जन की शिकायतों का जल्द होगा निराकरण।13 मीटर अधिक तक ऊँचाई तक खंबो में विद्युत संधारण कार्य करने की क्षमता हाइड्रोलिक मशीन रखती है,जो कि बिजली विभाग में कार्य हेतु उपयोग की जाएगी, शहर के खम्बो में बिजली से कोई भी समस्या जिसे की हाइटेंशन वायर,बिजली खंबो का निराकरण मशीन के माध्यम से किया जा सकता है। इसमें शहर के स्ट्रीट लाइट की संख्या 20 हज़ार व ट्यूबलर पोल एवम हाई मास्क लाइटों के बन्द शिकायत का जल्द होगा निदान।

मंत्री डॉ. डहरिया ने करोड़ों के विकास कार्यों की दी सौगात

रायपुर(चिन्तक)। नगरीय प्रशासन एवं विकास और श्रम मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने आरंग में करीब 10 करोड़ रूपए के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी है । आरंग में लोगों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के लिए श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स की शुरुआत की तथा दिव्यांगों को सहायक उपकरण बांटे ।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शासन सार्वजनिक उपयोग एवं विकास के कार्यों के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही हैं । उन्होंने कहा कि सभी मिलजुल कर क्षेत्र के विकास में भागीदारी निभाएं । डॉ. डहरिया ने कहा कि हमें धर्म जाति-पांति से ऊपर उठकर सभी के विकास के लिए कार्य करना चाहिए ।

उन्होंने कहा जाति-पांति की संकीर्णता से सार्वजनिक विकास बाधित होता है ।

।।न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग ।।

उद्घोषणा

प.न. 202201100400062

एतद द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक राजू घोगडे आ. स्व. रामनाथ घोगडे निवासी-थानेगांव द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-सिकोला प.ह.न. 17/8 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 294/196 रकबा 0.107 हे. **वर्गफीट आवासीय** प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा-आपत्ति हो तो प्रकरण में उदघोषणा प्रकाशन से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर दावा /आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 05/01/2022 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला दुर्ग**

।।न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग ।।

उद्घोषणा

प.न. 202201100400064

एतद द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक सुधीर कुमार लटारे आ. शशि कुमार लटारे निवासी-बालाघाट द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-सिकोला प.ह.न. 17/8 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 294/156 रकबा 0.108 हे. **वर्गफीट आवासीय** प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा-आपत्ति हो तो प्रकरण में उदघोषणा प्रकाशन से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर दावा /आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 05/01/2022 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला दुर्ग**

।।न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग ।।

उद्घोषणा

प.न. 202201100400060

एतद द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक समीर लटारे आ. शशि कुमार लटारे निवासी-बालाघाट द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-सिकोला प.ह.न. 17/8 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 294/198 रकबा 0.107 हे. **वर्गफीट आवासीय** प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा-आपत्ति हो तो प्रकरण में उदघोषणा प्रकाशन से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर दावा /आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 05/01/2022 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला दुर्ग**

।।न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग ।।

उद्घोषणा

प.न. 202201100400063

एतद द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक जतीन घोगडे आ. राजू घोगडे निवासी-थानेगांव द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-सिकोला प.ह.न. 17/8 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 294/151 रकबा 0.107 हे. **वर्गफीट आवासीय** प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा-आपत्ति हो तो प्रकरण में उदघोषणा प्रकाशन से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर दावा /आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 05/01/2022 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला दुर्ग**

।।न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग ।।

उद्घोषणा

प.न. 202201100400062

एतद द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक राजू घोगडे आ. स्व. रामनाथ घोगडे निवासी-थानेगांव द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-सिकोला प.ह.न. 17/8 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 294/195, 294/192 रकबा 0.078, 0.030 हे. **वर्गफीट आवासीय** प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा-आपत्ति हो तो प्रकरण में उदघोषणा प्रकाशन से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर दावा /आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 05/01/2022 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला दुर्ग**

।।न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग ।।

उद्घोषणा

प.न. 202201100400059

एतद द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक जतीन घोगडे आ. राजू घोगडे निवासी-थानेगांव द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-सिकोला प.ह.न. 17/8 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 294/151 रकबा 0.108 हे. **वर्गफीट आवासीय** प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा-आपत्ति हो तो प्रकरण में उदघोषणा प्रकाशन से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर दावा /आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 05/01/2022 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला दुर्ग**

।।न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग ।।

उद्घोषणा

प.न. 202201100400058

एतद द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक विशाल मल्होत्रा आ. चन्द्रशेखर मल्होत्रा निवासी-मैत्री विहार सुपेला द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-सिकोला प.ह.न. 17/8 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 294/193 रकबा 0.108 हे. **वर्गफीट आवासीय** प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा-आपत्ति हो तो प्रकरण में उदघोषणा प्रकाशन से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर दावा /आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 05/01/2022 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला दुर्ग**

।।न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग ।।

उद्घोषणा

प.न. 202201100400057

एतद द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका प्रीति मल्होत्रा पति चन्द्रशेखर मल्होत्रा निवासी-मैत्री विहार सुपेला द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-सिकोला प.ह.न. 17/8 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 294/197 रकबा 0.107 हे. **वर्गफीट आवासीय** प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा-आपत्ति हो तो प्रकरण में उदघोषणा प्रकाशन से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर दावा /आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 05/01/2022 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला दुर्ग**

।।न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग ।।

उद्घोषणा

202112100700393 / अ-6/ वर्ष 21-22

एतद व्दारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता आवेदक- कादिर खान पिता नजीर खान निवासी ग्राम रिसाली से.भिलाई तहसील दुर्ग जिला दुर्ग के व्दारा ग्राम पोटियाकला तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 88/322 रकबा 0.013 हे.भूमि को विक्रेता मो. हुसैन वगै. पिता स्व. मो. युसुफ निवासी ग्राम केलाबाड़ी दुर्ग से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 27/12/21 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 13/01/22 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते हैं। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 29/12/21 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

जारी दिनांक - 29/12/21
सुनवाई दिनांक - 13/01/22

मुहर — **तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)**

।।न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग ।।

उद्घोषणा

20220110070067 रा.प्र.क्र./ अ-6/ वर्ष 2021-22

एतद व्दारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता आवेदक/आवेदिका -शमीम बानो पिता/पति अब्दुल महमूद निवासी ग्राम केलाबाड़ी तहसील दुर्ग जिला दुर्ग के व्दारा ग्राम कसारीडीह तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं.686/23, 686/31 रकबा 0.005, 0.006 हे.भूमि जो कि आवेदक /शामिलात सहखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदित भूमि के खातेदार अब्दुल महमूद की मृत्यु हो जाने पर फौती दर्ज कर मृतक खातेदार के सभी विधिक वारिसानों का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 22/01/22 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते हैं। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 05/01/22 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

जारी दिनांक - 05/01/22
सुनवाई दिनांक - 22/01/22

मुहर — **तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)**

।।न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग ।।

उद्घोषणा

प.न. 202112100400368

एतद व्दारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका चिंतादेवी पति लखन चौधरी निवासी-मरोदा सिविक सेंटर भिलाई व्दारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-उमरपोटी प.ह.न.42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 763/3 रकबा 0.012 हे.1305 **वर्गफीट आवासीय** प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा-आपत्ति हो तो प्रकरण में उदघोषणा प्रकाशन से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर दावा /आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 22/12/2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला दुर्ग**

।।न्यायालय अति. तहसीलदार, दुर्ग जिला-दुर्ग (छ.ग.)।।

रा.प्र.क्र. / अ-6/2021-22

उद्घोषणा

एतद व्दारा सर्व साधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक भुवन साहू पिता वेदराम साहू निवासी 1042, कादम्बरी नगर सिकोला दुर्ग मौजा सिकोला प.ह.नं. 08 रा.नि.मंडल सिकोला तहसील व जिला दुर्ग में स्थित भूमि ख.नं. 290/61 रकबा 2000 वर्गफीट 0.018 हे. भूमि को विक्रेता प्रमोद कुमार पिता कवल सिंह से दिनांक 24/12/21 को क्रय कर रजिस्ट्री बैनामा निष्पादित किया है आवेदक व्दारा उक्त बैनामा के आधार पर नामांतरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा /आपत्ति करना हो तो वह नियत पेशी दिनांक 21/01/22 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने व्दारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते हैं। समयावधि समाप्त होने पर आपत्ति या दावा पर विचार नहीं किया जायेगा।

आज दिनांक 05/01/22 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।

जारी दिनांक - 05/01/22
पेशी दिनांक - 21/01/22

मुहर — **अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)**